

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

मुख्यदेव सिंह
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/राँची/हजारीबाग
मुख्य अभियंता (यॉ०), जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची।

राँची, दिनांक 10-04-17

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना	3838.100

कुल आवंटित राशि - रुपये अढ़तीस करोड़ अढ़तीस लाख दस हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट उपबंध राशि ₹ 7363.92 लाख (तीहत्तर करोड़ तीरसठ लाख बेरानबे हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

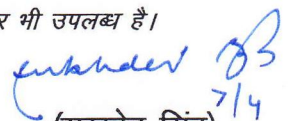
(श्वेता कुमारी)
सहा. अभि.

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
10. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
11. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यापन कर दिया जाय। राशि का प्रत्यापन **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यापन प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 30 जनवरी 2018 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

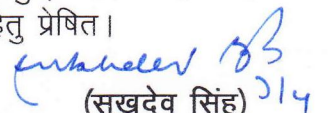

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- ०५

रॉची, दिनांक :- 10-04-17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/देवघर/चाईबासा/गढ़वा/पलामु/जमशेदपुर/गिरीडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- ०५

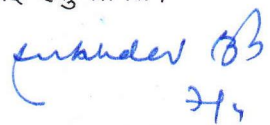
रॉची, दिनांक :- 10-04-17

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(श्वेता कुमारी)
सहा. अभि.


(मुक्ति साधन चौधरी)
उप सचिव (अभि.)


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

भाग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना

पत्रांक. 04

दिनांक. 10-04-17 का अनुदानक

परिशिष्ट I

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2017-2018	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय											विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में
		वेतन	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	क्रिया,दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विशि प्रभार			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेदिनीनगर	40.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	41.100		
2	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, हजारीबाग	40.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	41.100		
3	औरंगा निमाण अंचल, मेदिनीनगर	56.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	56.900		
4	कदवन बाँध अंचल, गढ़वा	62.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	62.900		
5	जलपथ अंचल, गढ़वा	58.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	58.900		
6	रूपाकण आयोजन एवं मोनि० अंचल मेदिनीनगर	56.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	56.900		
7	अग्रिम योजना प्र०, पलामू	46.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	46.750		
8	अनुसंधान प्रमंडल, गढ़वा	65.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	65.750		
9	आयोजन एवं मोनि० प्रमंडल,मेदिनीनगर	160.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	160.750		
10	औरंगा निर्माण प्रमंडल, पांकी पलामू	130.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	130.450		
11	कदवन बाँध प्रमंडल ,नगर उँटारी गढ़वा	66.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	66.750		
12	कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी	128.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	128.450		

(रशेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन धौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2017-2018	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते											विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय											विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय											राशि लाख रुपये में	
		वेतन	एलाउट/पीपी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दफ्तर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	बर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां खर्च एवं मरम्मत	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																						
13	कोनार नहर प्रमंडल, बगोदर	135.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	135.750																							
14	कोनार नहर प्रमंडल, बनासो	130.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	130.450																							
15	गुण नियंत्रण प्रमंडल, मेदिनीनगर	82.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	82.700																							
16	गुण नियंत्रण प्रमंडल, हजारीबाग	34.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	34.750																							
17	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा	138.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	138.750																							
18	जलपथ प्रमंडल, चाईबासा	196.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	196.450																							
19	जलपथ प्रमंडल, बरही	218.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	218.450																							
20	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर	240.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	240.750																							
21	जलपथ प्रमंडल, रेंची	312.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	312.450																							
22	जलपथ प्रमंडल, विष्णुपुर, पाटन	46.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	46.700																							
23	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	249.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	249.750																							
24	पुनर्वास पराग उ० कोयल परियोजना, मेदिनीनगर	68.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	68.450																							
25	यांत्रिक प्रमंडल, बनासो हजारीबाग	152.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	152.700																							
26	रूपकण एवं मोनिंग प्र०, हजारीबाग	30.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	30.750																							

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

04
10-04-17

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (असि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2017-2018	विरसुत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय												विरसुत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरसुत शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में
		वैतन	एलओसी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विधि प्रभार	कुल योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
27	रूपांकण प्रमंडल सं.-1, मेदिनीनगर	178.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	178.750			
28	रूपांकण प्रमंडल सं.-2, मेदिनीनगर	132.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	132.450			
29	वित्त पदा०, स्वणरेखा पशि०, जमशेदपुर	76.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	76.400			
30	विशेष भू-अर्जन पदा०उत्तर कोयल पशि० मेदिनीनगर	138.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	138.750			
31	सिंचाई प्रमंडल, बुड़ू	220.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	220.450			
32	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, मंडल, (लातेहार) शिविर मेदिनीनगर	135.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	135.750			
	आवंटन का योग	3816.000	0.000	6.400	6.800	0.000	0.000	1.500	0.000	0.000	7.400	0.000	3838.100			

आवंटित राशि -

रुपये अढ़तीस करोड़ अढ़तीस लाख दस हजार मात्र

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता(सुनिता साधन चौधरी)
उप सचिव (अभि.)(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव